राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ई–मेल

क्रमांक– एफ.20(4)खा.वि./मीटिंग/वी.सी./2014 दिनांक– 11.10.2023

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग बैठक कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव(खाद्य) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2023 को समिति कक्ष–1 में आदर्श आचार संहिता एवं विभागीय बिंदुओं (सम्पर्क समाधान पर लम्बित प्रकरण, प्राइस मॉनिटरिंग, जिलों में उपलब्ध चीनी का निस्तारण आदि) के संबंध में समस्त जिला रसद अधिकारियों/प्रबंधक, राराखानाआनि/उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप नियंत्रक) की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री नवनीत कुमार, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, श्री आशीष कुमार, उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, श्री ताराचंद, संयुक्त विधि परामर्शी, श्री डॉ नरेन्द्र चौधरी, प्रबंधक(सर्तकता) राराखानाआनि लिमिटेड, श्री एस.सी. गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, श्री रविन्द्र कुमार जैन, सहायक–कम–प्रोग्रामर, श्री गिरधारीलाल काजला, उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, श्री प्रतीक सोनी, संयुक्त नियंत्रक विधिक मापविज्ञान एवं विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी विधानसभा आम–चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने पर आदर्श आचार संहिता की पालना किए जाने एवं विभाग से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रदान किए गए:–

1. आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में श्री रामस्वरूप, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव को नोडल अधिकारी तथा श्री आशीष कुमार, उपशासन सचिव, श्री विष्णु कुमार गोयल, प्रबंधक(कार्मिक) राराखानाआनि, श्री गिरधारीलाल काजला, उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग एवं श्री प्रतीक सोनी, संयुक्त नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2. सभी जिला रसद अधिकारी अपने–अपने जिले में आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ का गठन कर इसकी सूचना नवसृजित ई–मेल आई.डी. missionrajasthanfood2030@.com पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।
3. इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले संदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री शब्द को हटाने के लिए DoIT को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। तत्पश्चात् भी यदि लाभार्थी को पूर्वानुसार संदेश प्राप्त हो रहे हों तो तत्काल विभागीय नोडल/सहायक नोडल अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. महंगाई राहत कैम्प से वंचित रहे लाभार्थियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक–से–अधिक संख्या में जोड़े जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

5. राशनकार्ड में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने से भारत सरकार के आंकड़ों से डाटा मिस–मेच हो रहे हैं तो इस संबंध में शेष सदस्यों में से वरिष्ठतम जीवित सदस्यों को मुखिया मानते हुए नियमानुसार उन्हें जनाधार से जोड़े जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. विभाग द्वारा संचालित कुल 5 पोर्टल/वेबसाइट्स पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों/निर्वाचित प्रतिनिधियों की फोटो/चित्र आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् संबंधित विभाग/निगम आदि अपने–अपने पोर्टल/वेबसाइट्स पर से तत्काल हटानें की कार्यवाही कर इसकी पालना रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रेषित करते हुए विभाग को भिजवाया सुनिश्चित करें।
7. खाद्य विभाग के कार्यालयों एवं जिला स्तर पर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जनप्रतिनिधियों के बैनर/होर्डिंग्स/प्रचार–प्रसार सामग्री के लगे हुए तथा उनके हटाए जाने की तस्वीरें खिंचवाकर इसकी पालना रिपोर्ट तत्काल विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में एक भी तस्वीर नहीं होने पर भी पालना रिपोर्ट भिजवाई जानी है।
8. विभाग से संबंधित अन्य बिन्दुओं पी.ए.सी. रिपोर्ट के तहत राशनकार्ड से संबंधित करोड़ों रुपये की वसूली, पी.एम.सी. के तहत 27 उत्पादों के नियमित प्राईस अपडेशन हेतु एवं लाईट्स पर लंबित प्रकरणों के जवाब व वर्तमान स्थिति को अपडेट किए जाने हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
9. जिला रसद अधिकारियों द्वारा कुछ जिलों में स्टाफ की कमी होने के बारे में अवगत कराया गया। जिसके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।

11/10/2023
(नवनीत कुमार)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव(खाद्य), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महाप्रबंधक, राराखानाआनि लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अधिकारी, खाद्य विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, खाद्य विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त विधि परामर्शी, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. सहायक–कम–प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
10. उपनियंत्रक, विविध माप विज्ञान प्रकोष्ठ, जयपुर।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी व प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान को निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी(सतर्कता / उपार्जन / रिट्स), खाद्य विभाग, जयपुर।
13. समस्त शाखा प्रभारी।

11/10/2013

(अतिरिक्त खाद्य आयुक्त)